# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 166 सन 2023

अनवान :–

1. मांगेराम दतक पुत्र कुरडाराम जाति जाट साकिन रायसिहपुरा हाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

वादी

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।**

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

**निर्णय दिनांक :–** 07/06/2024

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा रायसिहपुरा में रामलाल व कुरडाराम पुत्र जीसुखराम जाति जाट दो भाई निवास करते थे दोनो भाईयों ने शामिल रहकर रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 134 मिन की 108.15 बीधा भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की नोतोड करदा कब्जा काश्त की भूमि है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ उस समय कब्जा काश्त में थी इसलिये नियमानुसार खातेदार काश्तकार हो गया था।

रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 134 मिन की 10.15 बीधा के हाल खसरा न0 650/26.05 , 651/25.12 ,644/49.02 ,638/10.04 बीधा में परिर्वतन किया जाकर पैमुद किये गये है।

रामलाल व कुरडाराम पुत्र जीसुखराम ने अपने उक्त संयुक्त पैदा करदा खातेदारी भूमि का आपस में बाहमी बटवारा के लिया तथा बंटवारा में वादी के खोलायत पिता कुरडाराम को रोही मौजा कानसर के खसरा न0 644/1 की 2.3020हैक्ट व खसरा न0 650 की 6.6390हैक्ट व खसरा न0 651 की 6.4740हैक्ट व खसरा न0 638 की 2.5800हैक्ट भूमि प्राप्त हुई उक्त भूमि में से कुरडाराम ने जरिये बेयनामा फरोख्त कर दी केवल खसरा न0 638 की 2.5800हैक्ट भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी थी शेष रही है कुरडाराम व उसकी पत्नी अनकोरी का देहान्त हो चुका है।

रोही मौजा कानसर के हाल खसरा न0 638 की 2.5800हैक्ट भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होनें से पूर्व की भूमि होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय कब्जा काश्त मे होने के कारण वादी के पिता कुरडाराम खातेदार काश्तकार हो गये थे किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी को गेरखातेदार दर्ज कर दिया जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी अपने हकों की धोषणा करवा कर बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा कानसर के हाल खसरा न0 638 की 2.5800हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के पिता के राजस्थान काश्तकार अधिनियम लागू होने पूर्व कब्जा काश्त की भूमि है इसलिये वादी को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की [illegible] पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश [illegible] तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान मे वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के [illegible] आती है वादी [illegible] नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य [illegible] के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब शामिल मिसल किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:50:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जाकर वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा रायसिहपुरा में रामलाल व कुरडाराम पुत्र जीसुखराम जाति जाट दो भाई निवास करते थे दोनो भाईयों ने शामिल रहकर रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 134 मिन की 108.15 बीधा भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की नोतोड करदा कब्जा काश्त की भूमि है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ उस समय कब्जा काश्त में थी इसलिये नियमानुसार खातेदार काश्तकार हो गया था।

रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 134 मिन की 10.15 बीधा के हाल खसरा न0 650/26.05 , 651/25.12 ,644/49.02 ,638/10.04 बीधा में परिर्वतन किया जाकर पैमुद किये गये है।

रामलाल व कुरडाराम पुत्र जीसुखराम ने अपने उक्त संयुक्त पैदा करदा खातेदारी भूमि का आपस में बाहमी बटवारा के लिया तथा बंटवारा में वादी के खोलायत पिता कुरडाराम को रोही मौजा कानसर के खसरा न0 644/1 की 2.3020हैक्ट व खसरा न0 650 की 6.6390हैक्ट व खसरा न0 651 की 6.4740हैक्ट व खसरा न0 638 की 2.5800हैक्ट भूमि प्राप्त हुई उक्त भूमि में से कुरडाराम ने जरिये बेयनामा फरोख्त कर दी केवल खसरा न0 638 की 2.5800हैक्ट भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी थी शेष रही है कुरडाराम व उसकी पत्नी अनकोरी का देहान्त हो चुका है।

वादी के पिता कुरडाराम के कब्जा काश्त में वाद भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही कब्जा काश्त में होने के कारण दिनांक 26.09.1968 को अन्य भूमियों के साथ वाद भूमि का आवंटन किया गया था जो वादी के पूर्वज कुरडाराम के कब्जा काश्त में रही थी वादी के पिता कुरडाराम को भूमि आवंटन होने के 10 वर्षो के बाद वादी के पिता कुरडाराम खातेदार काश्तकार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी वादी को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा कानसर के हाल खसरा न0 638 की 2.5800हैक्ट भूमि का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 134 की 108 बीधा भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था के समय वादी के पूर्वज कुरडाराम के कब्जा काश्त में थी जो प्रस्तुत जमाबन्दी /गिरदावरी सम्वत 2012 से 2015 से पूर्णत्या साबित है।

वाद भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय वादी के पूर्वज कुरडाराम पुत्र जीसुखराम के कब्जा काश्त में होने के कारण साबिका खसरा न0 134 की कुल 50 बीधा भूमि दिनांक 26.09.1968 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है।

आवंटि कुरडारम पुत्र जी[illegible] के पूर्वज है जिसके वाद भूमि कब्जा काश्त में थी कुरडाराम एव उसकी पत्नी [illegible] के देहान्त होने पर वाद भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है [illegible] वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज है उक्त तथ्यों के सम्बंध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नही किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:50:05 IST
Reason: SelfAttested

अर्थात वाद भूमि वादी के पूर्वज कुरडाराम पुत्र जीसुखराम को दिनांक 26.09.1968 को आवटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि



उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पहले वादी के पूर्वज कुरडाराम के कब्जा काश्त में थी वर्तमान में वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों से साबित है वाद भूमि पर वादी के कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

भू0प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश हाल में रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 134 मिन की 108.15 बीधा भूमि को हाल खसरा न0 650/26.05 ,651/25.12 ,644/49.02 ,638/10.04 बीधा में ही परिवर्तन / पैमुद किया गया है जो प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से साबित है।

रोही मौजा कानसर एव अन्य भूमियों बाबत एक वाद उपखण्ड अधिकारी नोहर के न्यायालय मे प्रस्तुत हुआ था जो राजीनामा के आधार पर डिक्री किया गया था जिसमें रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 134 हाल खसरा न0 638 की 10.02 बीधा भूमि वादी के पूर्वज को प्राप्त हुई थी वादी की माता अनकोरी के देहान्त होने के बाद वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज हुई है।

वादी का कथन है कि वादी के पूर्वज कुरडाराम को वाद भूमि रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 134 हाल खसरा न0 638 की 10.02 बीधा दिनांक 26.09.1968 को आवंटन की गई थी के 10 वर्षो बाद स्वत ही खातेदार अधिकार प्राप्त हो चुके है।

क्योकि वाद भूमि वादी के पूर्वज कुरडाराम को दिनांक 26.09.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी के पूर्वज आवंटन दिनांक 26.09.1968 के तीन वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था अर्थात आवटन आदेश में अंकित समस्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये वादी वाद भूमि को भी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of the area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:30:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व ( कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन ) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन ज्ञेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी मांगेराम पुत्र कुरडाराम जाति जाट सकिन रायसिहपुरा ( जो अन्य पिछडा वर्ग जाति का सदस्य है ) को रोही मौजा कानसर के साबिका /हाल खसरा न0 638 की कुल 10.02 बीधा अर्थात 2.5800हैक भूमि आवंटन दिनांक 26.09.1968 को आवंटन की गई थी जो आवंटन आदेश से पूर्णत्या साबित है आवंटन होने के पश्चात वाद भूमि वादी के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज है अर्थात वाद भूमि वादी के पूर्वजो कुरडाराम पुत्र जीसुखराम को आवंटन नियम 1957/1970 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादी मांगेराम पुत्र कुरडाराम जाति जाट को रोही मौजा कानसर के साबिका /हाल खसरा न0 638 की कुल 10.02 बीधा अर्थात 2.580हैक भूमि दिनांक 26.09.1968 को आवंटन की गई थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतोर गैरखातेदार दर्ज है तथा आवंटन से लेकर आदिनांक तक कब्जा काश्त में चली हा रही है जिसके सम्बध में कोई वाद /विवाद नही है तथा वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में शामिल की जा चुकी है वादी अब उपनिवेशन नियमों के तहत एवं समय समय पर जारी परिपत्र/अधिसुचनाओं के परिपेक्ष्य में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 826/808 के खसरा न0 638 की कुल 2.580हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की बारानी भूमि की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07/06/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:30:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

**अज अदालत :– पंकज गढत्रवाल ( आर.ए.एस)**

अनवान :–

1. मांगेराम दत्तक पुत्र कुरडाराम जाति जाट साकिन रायसिहपुरा हाल दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

**वादी**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

**प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 166 सन 2023 निर्णय दिनांक –** 07/06/2024

आज यह वाद मुझ पकंज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 826/808 के खसरा न0 638 की कुल 2.580हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की बारानी भूमि की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/06/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:30:05 IST
Reason: SelfAttested